राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019

प्रमुख विशेषताएं

- कृषि प्रसंस्करण उद्योगों, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरज, पैक हाऊस, मिल्क चिलिंग प्लान्ट आदि की स्थापना पर अनुदान योजनाएं
- पूंजीगत लागत पर कृषकों एवं उनके संगठनों को 50 प्रतिशत अधिकतम 1 करोड़ रु. तक कुल अनुदान एवं बैंक ऋण पर 6 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक अधिकतम 1 करोड़ रु. तक का कुल ब्याज अनुदान
- पूंजीगत लागत पर अन्य पात्र उद्यमियों को 25 प्रतिशत, अधिकतम 50 लाख रू. तक का अनुदान एवं बैंक ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक प्रसंस्करण इकाईयों पर अधिकतम 50 लाख रू. तक एवं आधारभूत संरचना पर 1 करोड़ रु. तक का कुल ब्याज अनुदान
- केन्द्र की योजनाओं में सहायता प्राप्त इकाईयों को 10 प्रतिशत की दर से कृषकों को 1 करोड़ रू. अन्य उद्यमियों को 50 लाख रू. तक का अतिरिक्त पूँजीगत अनुदान
- बैंक ऋण पर भी कृषकों को 6 प्रतिशत की दर से 1 करोड़ रू. तक एवं अन्य उद्यमियों को 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख तक का 5 वर्ष की अवधि में कुल ब्याज अनुदान
- सभी योजनाओं में बैंक ऋण पर आदिवासी क्षेत्रों / पिछड़े जिलों में स्थित इकाईयों, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं 35 वर्ष से न्यून आयु के व्याज अनुदान अनुमत अनुदान सीमा में 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त
- फूड प्रोसेसिंग इकाईयों की स्थापना हेतु 10 हैक्टेयर तक कृषि भूमि के रूपांतरण की आवश्यकता समाप्त
- विद्युत प्रभार में एक रू. प्रति इकाई की दर से सालाना 2 लाख रू. का 5 वर्ष तक पुनर्भरण या कृषि उद्योगों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर लागत का 30 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख रु. तक का अतिरिक्त अनुदान
- राज्य में उत्पादित कृषि जिंसों के निर्यात पर सालाना 10-15 लाख रू. का 3 वर्ष तक परिवहन अनुदान
- जैविक रूप से राज्य में उत्पादित कृषि जिंसों के निर्यात पर सालाना 20 लाख रू. का 5 वर्ष तक परिवहन अनुदान

- घरेलू व्यापार के प्रोत्साहन हेतु अन्य राज्यों के बड़े शहरों में राज्य में उत्पादित फल सब्जी व फूलों को 300 किमी. से अधिक दूरी पर विक्रय हेतु भेजे जाने हेतु परिवहन लागत के 25 प्रतिशत की दर से सालीना 15 लाख रू. का 3 वर्ष तक परिवहन अनुदान

अनुदान आवेदन स्वीकृति प्रक्रिया

- समस्त प्रकार के दिशा-निर्देश व चैक लिस्ट विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध
- समस्त प्रकार के अनुदान आवेदन राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से (http://rajkisan.rajasthan.gov.in)
- ऑन लाइन आवेदन के 15 दिवस की अवधि में समस्त दस्तावेजो की प्रति चैक लिस्ट के अनुसार स्थानीय मण्डी समिति कार्यालय में मय आवेदन पत्र की प्रति के जमा करानी आवश्यक
- मण्डी सचिव द्वारा 15 दिवस की अवधि में दस्तावेजो का सत्यापन कर सदस्य सचिव जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत
- सदस्य सचिव, जिला स्तरीय समिति द्वारा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष अनुदान स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत
- उपरोक्त समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने की अवधि 60 दिवस
- राशि00 करोड रूपये तक की परियोजना जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत की जाएगी एवं इससे अधिक राशि की परियोजनायें जिला स्तरीय समिति द्वारा अभिशंषा सहित राज्य स्तरीय समिति के विचारार्थ प्रेषित की जायेगी
- समस्त प्रकार के अनुदान का वितरण बैंक खाते में जिला स्तर पर ही किया जावेगा
- ब्याज, विद्युत प्रभार पुर्नभरण एवं परिवहन अनुदान का भुगतान नियमित रूप से जिला स्तर से ही किया जायेगा
- अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए राज्य स्तरीय समिति को आवेदन प्रस्तुत करना होगा
- जिला स्तरीय समिति द्वारा निरस्त प्रकरणों की अपील राज्य स्तरीय समिति

पात्र गतिविधियां

- फल और सब्जियां प्रसंस्करण, मसाला प्रसंस्करण
- अनाज / अन्य उपभोक्ता खाद्य उत्पाद, तिलहन उत्पाद

- चावल और आटा मिलिंग, दलहन प्रसंस्करण
- हर्बल, औषधीय, फूल और सुगंधित उत्पाद, लघु वन उपज प्रसंस्करण
- शहद प्रसंस्करण, गैर खाद्य कृषि प्रसंस्करण
- खाद्य जायके और रंग, ओलिओरेजिन्स (वसमवतमेपदे) और मशरूम सहित अन्य इस प्रकार के कृषि और बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण
- कृषि अपशिष्ट पदार्थों के प्रसंस्करण की इकाइयां

पशुपालन क्षेत्र

- दूध प्रसंस्करण, मांस, मुर्गी एवं मत्स्य प्रसंस्करण
- केटल फीड, मुर्गी दाना, फिश मील उत्पाद आदि

सेवा उद्यम एवं आधारभूत ढांचा विकास की परियोजनाएं

- संग्रहण एवं प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र, वेयरहाऊस, कोल्ड स्टोरेज, फूड इरेडिएशन प्रोसेसिंग प्लांट्स, कोल्ड चेन
- पैक हाऊस, फूड पार्क एवं एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की इकाईयाँ, रीफर वैन आदि।

परिवहन अनुदान

प्रतिवर्ष अधिकतम अनुदान (राशि लाख रूपये में)

निर्यातित जिन्स / वस्तु का समूह	**सामान्य उत्पाद हेतु**
अ. ताजा फल सब्जी एवं फूल	10 लाख 3 वर्ष तक
ब. मसालें एवं प्रसंस्कृत उत्पाद	15 लाख 3 वर्ष तक
स. अन्य अप्रसंस्कृत उत्पाद घरेलू व्यापार हेतु	10 लाख 3 वर्ष तक
ताजा फल सब्जी एवं फूल के 300 किमी से अधिक की दूरी के परिवहन पर	15 लाख 3 वर्ष तक

जैविक उत्पादों के लिए उक्त समस्त प्रकार के परिवहन पर अनुदान 20 लाख रू प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष की अवधि तक देय।

उक्त समस्त प्रकार के अनुदान राज्य में उत्पादित कृषि जिन्सों पर ही देय ।

अन्य प्रोत्साहन / सहायता

- राज्य में कृषि उद्योगों की स्थापना, व्यापार के संचालन तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में राज्य के उत्पाद की स्वीकार्यता बढ़ाने आदि कार्यों हेतु प्रोत्साहन/सहायता

प्रोत्साहन / सहायता	**राशि**
विद्युत प्रभार	अधिकतम 2 लाख रु. प्रति वर्ष, 5 वर्ष तक
एवं/या	
सौर ऊर्जा संयंत्र	अधिकतम अनुदान 10 लाख रु.
व्यापार हेतु विदेश में नमूना भेजना	अधिकतम 50 हजार रु. प्रत्येक नमूना एक देश के लिए
पेटेन्ट / डिजाईन का पंजीकरण गुणवत्ता प्रमाणीकरण	अधिकतम 2 लाख रु. प्रति वर्ष अधिकतम 2 लाख रु. प्रत्येक प्रमाणन के लिए
परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु	अधिकतम 5 लाख रु.
कौशल विकास प्रषिक्षण	अधिकतम 25 लाख रु. प्रति संस्थान प्रति वर्ष
शोध एवं विकास	अधिकतम 200 लाख रु. वर्ष में एक बार
सर्वे एवं अध्ययन	राज्य स्तरीय समिति के निर्णय अनुसार

कृषि व्यापार में भागीदारी, आय में बढ़ायेगी हिस्सेदारी

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड
पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर 302005, राजस्थान
फ़ोन 0141 222 7914 | फैक्स 0141 2227096
ईमेल:- rsamb@rajasthan.gov.in
वेबसाईट:- agriculture.rajasthan.gov.in/rsamb
अनुदान आवेदन-rajkisansathi.rajasthan.gov.in